Panchayati Raj
पंचायतीराज

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

उत्तराखण्ड सरकार

ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन में ग्राम पंचायतों के कर्तव्य एवं दायित्व

निदेशालय पंचायतीराज, उत्तराखण्ड

सहस्त्रधारा रोड, देहरादून (उत्तराखण्ड)

दूरभाष : 0135-2607106

ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंर्तगत प्रत्येक ग्राम पंचायत एक ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन की कार्य प्रणाली को स्थापित करेगा। इसका मुख्य उद्देश्य गांव को कूड़ा मुक्त करना है जिससे आसपास के वातावरण (पारिस्थतिकीय तंत्र) को स्वच्छ एवं सुन्दर बनाया जा सके। प्लास्टिक ठोस कूड़े का अवयव है, किन्तु इसके प्रबन्धन के लिए अलग नियमों का प्रावधान किया गया है।

1– कूड़ा प्रबन्धन कार्यक्रम के उद्देश्य

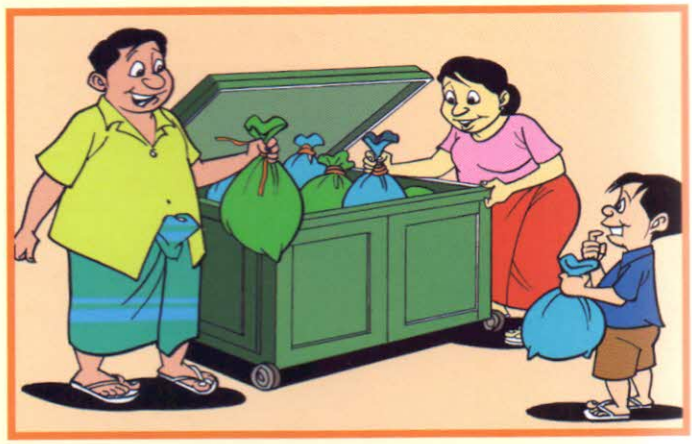

- कूड़े को सुनियोजित तरीके से निस्तारित करना।
- वातावरण को दूषित होने एवं गन्दगी से होने वाली बीमारियों से बचाना।
- जैविक एवं अजैविक कूड़े के बारे में आम जनमानस में जानकारी का प्रसार एवं जन जागरूकता बढ़ाना।
- जनसहभागिता के आधार पर पंचायतों में कार्ययोजना तैयार करना।
- ग्राम पंचायत स्तर एवं कलस्टर स्तर पर कूड़ा प्रबन्धन की प्रणाली विकसित करना।

2– कूड़ा प्रबन्धन से होने वाले लाभ एवं कूड़ा प्रबन्धन न होने से नुकसान :

कूड़ा प्रबन्धन के लाभ	कूड़ा प्रबन्धन न होने से नुकसान
• आसपास का वातारण स्वच्छ बना रहता है। • यात्रा मार्ग से जुड़ी पंचायतों में पर्यटन व्यवसाय को बढ़ावा मिलता है। • बच्चों, बुजर्गो, महिलाओं एवं पुरूषों में होने वाले विभिन्न बीमारियों से मुक्ति। • ग्राम व परिवार स्वच्छ रहेगा तो पर्यावरण स्वच्छ होगा। • जैविक कूड़े के प्रबन्धन से जैविक खाद की प्राप्ति। • अजैविक कूड़े से आय की प्राप्ति व संसाधन का सम्वर्धन। • राष्ट्रीय ऊर्जा का संरक्षण । • व्यवस्थित गांव का परिवेश। • जिम्मेदार नागरिकों व बच्चों का विकास और निर्माण।	• कूड़े के ढेरो से मानवीय स्वास्थ्य प्रभावित होता है व बीमारियों का खतरा बना रहता है। • गांव के आसपास कूड़े के ढेर होने से पशु एवं पक्षियां प्लास्टिक खा लेते हैं जिससे पशुओं एवं पक्षियों के स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। • कूड़े के प्रदूषण का विशेषकर प्लास्टिक का सदियों तक प्रबंधन नहीं किया जा सकता है। • कूड़े को जलाने पर दो तरह के अपशिष्ट उत्पन होते हैं – पहला, जहरीली गैसें, जो वायु मंण्डल को प्रदूषित करती हैं व राख जिसमें भारी धातुयें होती हैं। इससे मिट्टी प्रदूषित होती है। • कूड़े को गड्डे में दबाने से भूमिगत जल प्रदूषित होता है वहीं जल में प्रवाहित करने से, जल में रहनें वाले जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। • वातावरण स्वच्छ न होने से पर्यटन व्यवसाय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

कूड़ा प्रबन्धन कर स्वच्छता को अपनायें, भारत के बदलते स्वरुप की मुहिम में अपने को भागीदारी बनायें।

3–कूड़ा प्रबन्धन के लिए क्या करें।

- घर में ही जैविक/गीला एवं अजैविक/सूखा कूड़ा अलग – अलग करें।
- अजैविक कूड़े को निर्धारित स्थान पर ही डालें।
- अपने – अपने घरों के आसपास नाडेप/वर्मी कम्पोस्ट पिट तैयार करें, तथा जैविक कूड़े से जैविक खाद बनायें।
- पके व बचे हुए भोजन को पशुओं को खिलाएं।
- कूड़ा प्रबन्धन के लिए ग्राम पचांयत द्वारा बनाये गये नियम एवं प्रावधानों का पालन करें।
- ग्राम पंचायत को कूड़ा प्रबन्धन के लिए कार्य करने में सहयोग दें।
- कूड़ा प्रबन्धन के लिए एक निश्चित स्थान का चयन करें।
- रेखीय विभागों के साथ मिलकर कूड़ा प्रबन्धन के लिए कार्य करें।

4–कूड़ा प्रबन्धन के लिए क्या न करें।

- बाजार से फल,सब्जियां एवं अन्य सामग्री लाने के लिए प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग न करें।50 माइक्रोन मोटाई से कम थैलियां प्रतिबंधित हैं।
- कूड़े को इधर उधर नहीं फैलाएंगे जिससे सार्वजनिक स्थानों,नालियों,जलाशयों व पर्यटन एवं धार्मिक स्थलों को स्वच्छ रखा जा सके।
- कूड़े का अधिक उत्पादन न करें।
- वर्मी कम्पोस्ट एवं नाडेप पिट में पके हुये भोजन को न डाले ।
- कूड़े को किसी भी अवस्था में जलाये नहीं।
- कूड़े को छुपायें नहीं बल्कि कूड़े का पूर्णत: निस्तारण करें।

5– अपशिष्ट प्रबन्धन में ग्राम पंचायतों के कर्तव्य :

- प्रत्येक ग्राम सभा एक ऐसे तंत्र को प्रभावी रुप से विकसित करेंगी जिससे घरों, संस्थानों व व्यापारिक प्रतिष्ठानों से ठोस एवं प्लास्टिक कचरा एकत्रित किया जा सके।
- इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु ग्राम पंचायत वार्षिक योजना के साथ एक ठोस अपशिष्ट योजना का निर्माण करेंगे जिससे ग्राम पंचायत के अधीन 100 प्रतिशत क्षेत्र को कूड़ा प्रबन्धन का लाभ पहुंचाया जा सके।
- ग्राम पंचायतें स्रोत पर ही कूड़े को अलग–अलग घटकों अर्थात गीला व सूखा कूड़ा जिसमें प्लास्टिक शामिल हैं, को पृथक करायेंगी व उनका एकत्रीकरण सुनिश्चित करेंगी।
- ग्राम पंचायतें ठोस अपशिष्ट से पुर्नचक्रण वस्तुओं का संग्रहण करेंगी व गांव की क्षमता के अनुरुप संग्रहण स्थल का निर्माण करेंगी।
- ग्राम पंचायतें अपने स्रोत से कूड़ा प्रबन्धन के लिए अवसंरचना तंत्र बनायेंगी जिसका प्रबन्धन व हथालन (हेडलिंग) उनके द्वारा सुनिश्चित किया जा सके।
- नियमों के अनुरुप ही अपशिष्ट उपचार हेतु तकनीकों को अपनाऐंगे व सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन करेंगे।

स्वच्छता है हमारी पहचान, गांव, गली, मुहल्लों में सबके पास हो कूड़ा निरस्तारण का प्लान ।